

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

17.02.2025

निर्णय दिनांक
23.02.2025

प्रकरण संख्या
83/2025

1. श्री उदयलाल पिता देवीलाल गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कंचन पुत्री देवीलाल गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. इदा पुत्र नारायण गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. दुर्गा पुत्री देवीलाल गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रतन पुत्र देवीलाल गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सरजू देवी पत्नी देवीलाल गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्री प्यारचन्द ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. दुर्गाशंकर पुत्र प्यारचन्द ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. बसन्त कुमार पुत्र प्यारचन्द ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रेखा पुत्री प्यारचन्द ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. हेमलता पुत्री प्यारचन्द ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. इन्द्रा देवी पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. घनश्याम पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. मंजू देवी पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. रेखा देवी पत्नी सत्यनारायण ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. सम्पत देवी पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. अण्छी देवी पत्नी स्व० भैरू लाल गाडरी, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. ऐजी पुत्री केशु गाडरी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधि. प्रार्थीगण श्री मंजूर मोहम्मद डायर, फारूख अहमद डायर उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 8903 रकबा 0.6955 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद मे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 8903 रकबा 0.6955 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरें एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.5.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिल्लाराज सिंह निम्बूकर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड भीलवाडा अधिकारी
भीलवाडा